

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित

22-1-23

प्रथम पक्ष - ककालतन राजरी है।
 नोटिस का नामिला अपात्र है।
 नोटिस के नामिला अपात्र रहने
 से कालकवित होने के कारण
 नोटिस में कार्यवाही समाप्त कर अतिरिक्त
 की को किया जा रहा है।

13/13/23